BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EA 14 OF 2026

IN

OA NO. 1177 OF 2024

IN THE MATTER OF:

BHOORI SINGH …. APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, AGRA & ORS. …. RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PG.NO
1.	RESPONSE ON BEHALF OF **RESPONDENT NO- 1** IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 18.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	THE PRESENT REVENUE RECORDS AND OF FASLI YEAR 1359 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS **ANNEXURE-1.**	
3.	A COPY OF THE EVICTION ORDER DATED 09.06.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS **ANNEXURE- 2.**	

4.	A COPY OF THE NOTICES IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS **ANNEXURE- 3.**	
5.	A COPY OF THE PHOTOGRAPHS EVIDENCING REMOVAL OF THE ENCROACHMENTS IS ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS **ANNEXURE- 4.**	
6.	A COPY OF THE LETTER DATED 20.06.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS **ANNEXURE- 5.**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

DATE: - 25.06.2026
PLACE: - NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. AGRA GOVT OF INDIA

EA 14 OF 2026

IN

OA NO. 1177 OF 2024

IN THE MATTER OF:

BHOORI SINGH .... APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, AGRA & ORS. .... RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO- 1 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 18.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, **Manish Bansal**, aged about **36** years, S/o **Shri Ram Avtar Bansal**, presently posted as District Magistrate, Agra do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present response.

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

2. That I, state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That the present Original Application has been filed alleging that in the Village, Angoothi, Tehsil – Sadar, Agra there is a land in Khasra No. 486, part thereof is recorded as Talab (Pond) in revenue record but there is encroachment on Pond land and despite the complaint made to revenue authorities no action has been taken by the concerned authorities for removing encroachments and restoring Pond to its original status.

4. That, it is humbly submitted that, in the said matter, the Hon'ble Tribunal, vide order dated 17.02.2025 had disposed of the OA 1177 of 2026 directing as under:

-

"6. We accordingly dispose of this original application by directing District Magistrate/Collector, Agra to take appropriate action and ensure to maintain the Pond land of Khasra No. 486 (क) and (ख), as it is, in its size and nature, in accordance with the revenue records, and if there is any encroachment, appropriate action shall be taken to remove encroachment and restore Pond to its original status.

7. Above action shall be taken by District Magistrate/Collector, Agra within one month and a compliance report shall be submitted before Registrar General of

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.: AGRA Regd No 2323/20 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

this Tribunal, who, if finds any further order is needed, shall place the matter before the Bench concerned."

That the Hon'ble Tribunal, vide order dated 18.03.2026 in E.A 14 of 2026 directed as follows: -

"5. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, learned counsel accepts notice on behalf of Respondent No. 1-District Magistrate, Agra and seeks four weeks' time to file the compliance report.

7. List on 01.07.2026"

II. REPLY IS AS FOLLOWS

5. That it is respectfully submitted that the land bearing Khasra No. 486 Ka measuring **0.5420** hectares and Khasra No. 486 Kha measuring **4.4570** hectares, aggregating to **a total area of 4.999 hectares** and situated at Village Angoothi, is presently recorded in the revenue records (Khatauni) as a pond (**Talab**) under Category 6-1, i.e., non-agricultural waterlogged land. Out of the total area, approximately **1.75** hectares comprises an existing Sarovar, which naturally receives and retains rainwater.

6. That the revenue records further demonstrate that the land has historically retained its character as pond land and was also recorded as a pond in the revenue records of Fasli Year 1359.

The present revenue records and of fasli year 1359 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 1.**

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.- AGRA GOVT OF INDIA

7. That it is humbly submitted that the encroachments were found in the nature of permanent structures comprising a temple (over an area of approximately **200 square metres**), a mosque (over an area of approximately **196 square metres**), and a mazar (over an area of approximately **40 square metres**).

8. That it is respectfully submitted that, upon detection of the aforesaid encroachments, proceedings under **Section 67** of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 were initiated before the Court of Tehsildar, Sadar, Agra for eviction of the encroachers and restoration of the pond land.

9. That it is relevant to mention that, the eviction orders were initially passed by the learned Tehsildar. Although the same were carried in appeal and remanded for fresh consideration, the matters were reheard and final eviction orders on merits were passed on **09.06.2026** in accordance with law.

A copy of the eviction order dated 09.06.2026 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 2.**

10. That it is submitted that, pursuant to the aforesaid eviction orders, notices were issued to all concerned parties. Upon expiry of the notice period, a demolition drive was conducted on **17.06.2026** in the presence of the police force and the entire encroachment standing on Pond Gata Nos. 486 (Ka) and (Kha) was removed.

A copy of the notices is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 3.**

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. AGRA Regn No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

11. That it is submitted that, as on date, Pond Land bearing Khasra Nos. 486 (Ka) and (Kha) stands completely **free from encroachment** and its character, extent and physical status have been restored in conformity with the revenue records and the directions issued by this Hon'ble Tribunal.

A copy of the photographs evidencing removal of the encroachments is annexed herewith and collectively marked as **ANNEXURE- 4.**

12. That it is germane to mention that, vide letter dated **20.06.2026,** the deponent directed the Additional Chief Officer, District Panchayat, Agra to incorporate the restoration and redevelopment of the entire pond area in the departmental action plan and to undertake appropriate **restorative measures** so as to ensure the long-term protection and ecological restoration of the water body.

A copy of the letter dated 20.06.2026 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 5.**

13. That, the deponent has been duly diligent in complying with the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, and has taken all necessary measures to ensure timely and complete compliance therewith in letter and spirit.

14. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
GOVT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at AGRA on this 25 day of June 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

5/2032/2026
Explained to Shri Manish Bansal
Read by Rastee as D. M. Agra
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 25/6/2026
At Agra
Identified by

NOTARY
GOVT OF INDIA
25/6/26

Annexure-1

ANNEXURE -1

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

93

उद्धरण क्रमांक : 124591202606758

ग्राम क्रमांक : 124591 **ग्राम का नाम (परगना) : अंगूठी(आगरा)** **तहसील : आगरा** **जनपद : आगरा** **फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)** **भाग : 1** **(1)खाता संख्या : 00532**

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
486क	1) तालाब / --- / ---		-	486क(1245910486200161)	0.5420	1) 1/1	1) 0.5420	0.00
							0.5420	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.5420 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.5420)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		486क(1245910486200161)			486क(1245910486200161)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) श्रेणी 3 से (डिजिटल हस्ताक्षर: CHANDRA PRAKASH RAJPUT / 13-03-2018)

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:CHANDRA PRAKASH RAJPUT(REGISTRAR KNOONGO)
दिनाँक/समय/स्थान: 19-06-2026 09:19:01 तहसील : आगरा
यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : RAMGOPAL AGRAWAL तहसील : आगरा
मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-06-2026 09:19:01
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https: uphhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124591202606759

94

ग्राम क्रमांक : 124591 ग्राम का नाम (परगना) : अंगूठी(आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00532

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	भूमि का विवरण (5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार का अंश (7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
486ख	1) तालाब / --- / ---			486ख(1245910486200261)	4.4570	1) 1/1	1) 4.4570	0.00
							4.4570	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 4.4570 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (4.4570)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		486ख(1245910486200261)			486ख(1245910486200261)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) श्रेणी 3 से (डिजिटल हस्ताक्षर: CHANDRA PRAKASH RAJPUT / 13-03-2018)

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:CHANDRA PRAKASH RAJPUT(REGISTRAR KNOONGO)
दिनाँक/समय/स्थान: 19-06-2026 09:22:48 तहसील : आगरा

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : RAMGOPAL AGRAWAL तहसील : आगरा
मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-06-2026 09:22:48
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https: upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

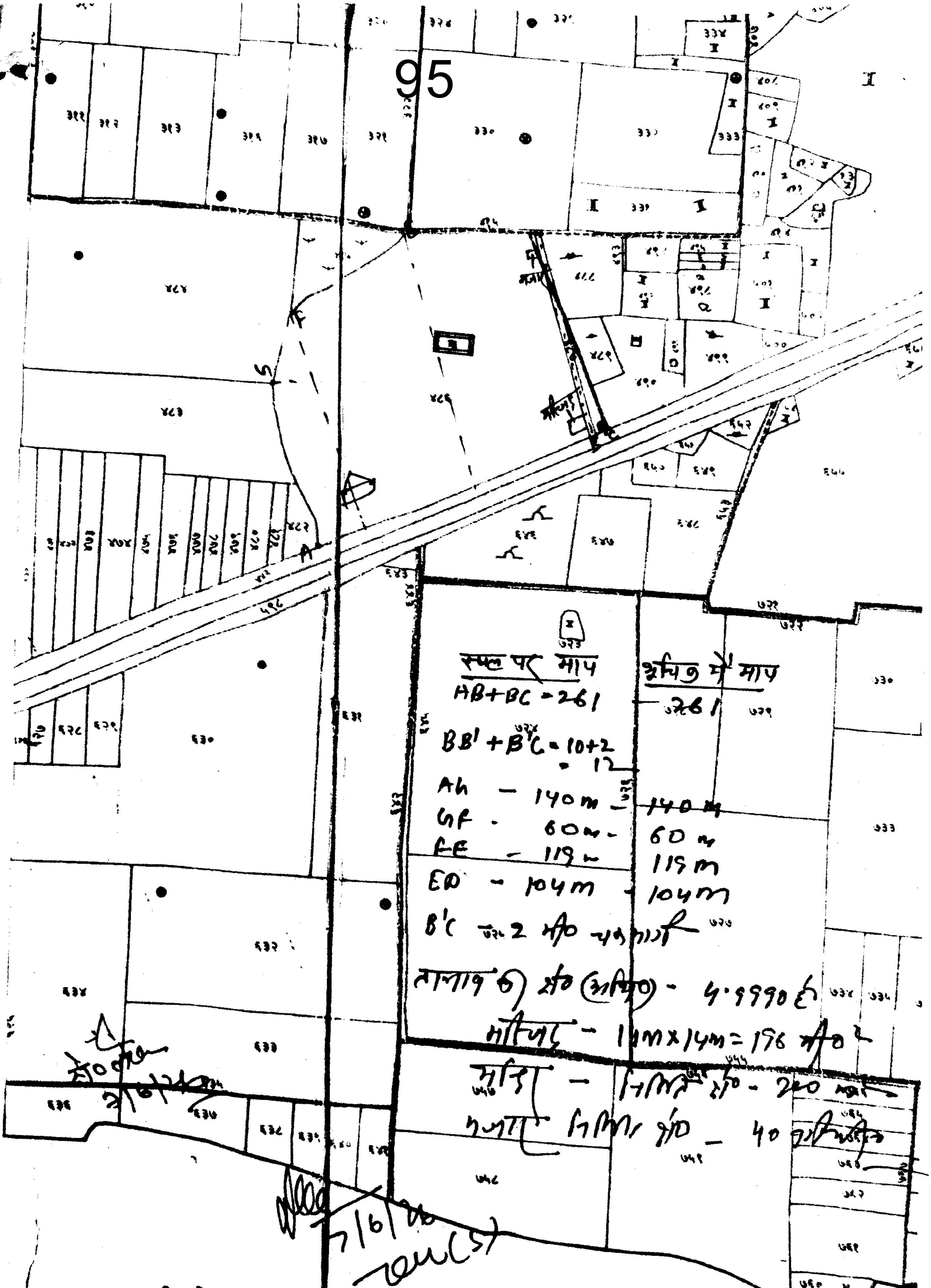

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर नाम ____________

११६
[redacted] आकार-पत्र ४१

(नियम [illegible])

96

([illegible] मतालबात)

[redacted] आगरा तहसील व जिला आगरा

[illegible]	[illegible]	[illegible] संख्या	क्षेत्रफल	नयी खाता खतौनी संख्या	पिछले बन्दोबस्त की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई का साधन	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
		228/2 मि०	००२०		ना०व०१	नलकूप	
		228/3 मि०	०००१० / १.४८०३		ना०व०१	नलकूप	
४८४	२-६६०७	228/1 मि०	००१५०	३५१	ना०व०२	नलकूप	नलकूप ३५१
		228/2 मि०	०-५४०८		ना०व०२	नलकूप	
		229/1 मि०	२-३२१६		ना०व०१	नलकूप	
		229/2 मि०	००८३५ / २-६६०७		ना०व०१	नलकूप	
४८५	०४१०२	223	०-२६५०	५२५	ना०व०२	–	वृक्षारोपण
		224	०१४५२ / ०४१०२		ना०व०२	–	
[redacted]		225/1 मि०	०-५५२३	५२३	ना०व०२	–	[redacted]
[redacted]		मि०	४-४५६६	५२६	ना०व०२	–	[redacted]
४८६	००३४६	298	००३४६	५४२	ना०व०२	–	रास्ता
	८-४०५६						

जोत २-६६०७ — सिंचित नलकूप २-६६०७ — शार्जोत ० — नलकूप १

कुल जोत ५-४४४८ — असिंचित ०

जितेन्द्र कु० चौधरी
लेखपाल
सदर, आगरा

चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर — चकबन्दी कर्ता के हस्ताक्षर — सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

विशेष सूचना—स्तम्भ ५ नई खतौनी तैयार हो जाने पर भरा जायेगा ।

पी० एस० यू० पी० ([illegible]) २८ चकबन्दी/५३/१५-४-८९/१९,४६,००० (फोटो)

(नियम 41)

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 19 के अधीन निगम की बही खतौनी

अनुसूचि — परगना आगरा — तहसील — जिला आगरा

खाता का संख्या	खातेदार का नाम, पितृ नाम तथा निवास स्थान	जोत प्राप्त होने का वर्ष	नई गाटा संख्या	क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
[redacted]	— भूमि जो आसामियों के अध्यासन या [redacted] अधिकार में हो।					
	[redacted] निवासी नानपुर।		[redacted] 86	0.4823	10.00 [redacted]	588

श्रेणी 3(क) भूमि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले से दिनांक पर पशुचर भूमि या ऐसी जलमग्न भूमि के जो सिंगाड़ा या अन्य चीज पैदा करने के काम में लाई जाती है या नदी के तल की भूमि जो आकस्मिक अवसरों पर या कभी-कभी खेती के काम में लाई जाती हो गैरदाखिलकार काश्तकार के रूप में हो।

श्रेणी 3(ख) ऐसी भूमि के गैरदाखिलकार काश्तकार के रूप में हो जिसे राज्य सरकार ने निहित होने के दिनांक से पूर्व गजट में विज्ञप्त द्वारा अस्थाई या अस्थिर भूखण्ड के रूप में प्रख्यापित किया हो।

उप संचालक चकबन्दी — पं० नोएल्यानिक

राजेन्द्र कु० चौधरी लेखपाल सदर, आगरा

राजे-86-20.1.2000

सदर, सं० चकबन्दी अधिकारी

[redacted]

खतौनी ...

गांव [redacted] ... तहसील ... जिला आगरा

खतौनी खाता की क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम ... निवास स्थान		खसरा नं०	क्षेत्रफल		
१						
	श्रेणी ५(३)ड :— अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि					
५२६	बंजर		४८८	0-3800		
			४८९	0-1600		
			६५२	0-1152		
			६६१	0-1613		
			६८२	0-0600		
			५	0-8865		
		योग श्रेणी ५	२१	5-6000		
	श्रेणी ६:— अकृषिक भूमि					
	(१) जलमग्न भूमि					
५26	[redacted]		[redacted]	4-4566		

जितेन्द्र कु० चौधरी
लेखपाल
सदर, आगरा

बी० एस० ... २ ... ११-१-९६ ... २०,००,००० सि० च० कार्यकारी

1359 ৯০ [illegible]

৫২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
		[illegible] ৭০ ৭১	[illegible]																	
		[illegible] ৭২ ৭৭	[illegible]																	
৫৭৩	[illegible]	[illegible] ৭২ ৭৭২	[illegible]	[illegible]			[illegible]		৭৭২								[redacted]		৭৩১৩	
		[illegible] ৩ ১১২	[illegible]																	
		[illegible] ৫ ১১২	[illegible]																	
		[illegible] ৫ ১২	[illegible]																	
		[illegible] ৬ ১৩	[illegible]																	
		[illegible] ৯ ১৩	[illegible]																	
		[illegible] ৭	[illegible]																	
		[illegible] ৫ ১৮	[illegible]																	
		[illegible] ৫	[illegible]																	

प्र-दुल्हेराम के ७ ॥	५२	+	+	
प्र-दुल्हेराम के ३ ॥ ७	५२	+	+	
प्र-दुल्हेराम के ३ ॥ ७	३४	+	+	
प्र-दुल्हेराम के ४ ॥ ७	५३	+	+	
प्र-आत्माराम के ल० ३ ॥	५२	+	+	
प्र-बलदेव के ७ ॥	२४	+	+	
प्र-बलदेव के २ ॥	४०	+	+	
प्र-बलदेव के ३ ॥	५२	+	+	
प्र-जुगलाल के ल० १ ३१२-४	५२	+	+	
प्र-ओमी के ॥	४	+	+	

पृष्ठ योग (ज्ञान) — अजात९/ ~~इलाका~~ — गरहजालेश ९३१३ — सिंघाया ९११२ x x ४ — तालाब ९३१३ — लिफाफ-

[illegible] (५) १

1359 [illegible]

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
		[illegible] ९ १२	९२	+	+															
		[illegible] ११-१६	२८	+	+															
		[illegible] १२	५०२	+	+															
		[illegible] ११	९६	+	+															
		[illegible] ११	२३	+	+															
		[illegible] १२	१४	+	+															
८९४	११२	[illegible] ११२	९२	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	[illegible] ११२			
		[illegible] ११	२८	+	+															
		[illegible] ४ १४	८२	+	+															
		[illegible] ९ १	८	+	+															
२९४	११३	[illegible] १	२८	[illegible]		[illegible]	[illegible]	११३	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

नमूना (ब)

आर० डी० प्रपत्र सं० 333

फैहरिस्त मुकदमात माल वास्ते मामूली मुकदमात की जिनकी मियाद तलफ 3 साल से ज्यादा नहीं है।

1. काम का सीगां - सरसरी
2. मिसिलबन्द नम्बर - 30 अ
3. उनमहन सीगां - पट्टा निरस्तीकरण
4. नम्बर मुकदमात 207/07-08
5. ग्राम - अगूंठी
6. मौजा - ग
7. परगना - आगरा
8. मुद्दई - ग्रामसभा
9. मुद्दापलेह - नत्थी
10. नाम अदालत - उपजिलाधिकारी, आगरा

तारीख मुहाफिज खाने में दाखिल करने की 932

बस्ता नम्बर

नम्बर सिलसिलेवार मुन्दर्जा फैहरिस्त

नम्बर सिलसिलेवार मुन्दर्ज रोजनामचा

सालतलफ

साल जिसमें नत्थी (वे) तलफ की जायेगी

साल जिसमें (से) तलफ की गई

दस्तखत

साल जिसमें (अलिफ) तलफ की जायेगी।

यादद्दास्त मिसल बरामदगी कागज

सिलसिलेवार नम्बर कागज	किस्म कागज	तादात औराक		स्टाम्प शुल्क अदालत		तारीख मिसिल में कागज रखने को	कैफियत
		नत्थी (अलिफ)	नत्थी (बे)	तादात सटाम्प	कीमत		
1.	सूची पत्र	1	—	—	—	"	
2.	तहसील रिपोर्ट मय आदेश उपजिलाधिकारी	1	—	—	—	4-12-07	
3.	प्रतिलिपि खतौनी	1	—	—	—	"	
		03					

103 (1)

सेवा में,

न्यायालय उपजिलामजिस्ट्रेट सदर (आगरा) वाद सं. 20 /07-08

द्वारा

माध्यम

महोदय,

ग्राम अंगूठी तहसील व जिला - आगरा की खतौनी सन् 1413 फ० लगायत सन् 1418फ० में खाता नं० 530 गाटा संख्या - 486ड - 0.5420 लगान 10.00 पर श्री नत्थी, चिरंजी पुत्रगण डेबीराम, नि. नानपुर का नाम

सन् - फसली से बतौर असामी श्रेणी:3 दर्ज कागजात है। तथा जोत-चक० आ०पत्र 45 सन् 1995 फसली में श्रेणी 3 दर्ज है। पट्टे की अवधि 10 वर्ष से अधिक हो गयी है। शासन के निर्देशानुसार - तहसीलदार आगरा के आदेश दिनांक - के अनुपालन पट्टा निरस्त किया जाना अपेक्षित है।

अतः असामी पट्टा निरस्त कर ग्रामसभा भूमि दर्ज किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

ह० लेखपाल
3-9-07

ह० रा०नि०

संस्तुति सहित सम्प्रेषित।

तहसीलदार आगरा

लेखपाल / राजस्व निरीक्षक की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित

तहसीलदार सदर
आगरा
12 NOV 2007

यथा प्रस्तावित स्वीकृत

(... सिंह)
उपजिलाधिकारी, सदर (आगरा)
4.12.07

Annexure-2

ग्राम सभा हेतु सरकारी कार्य हेतु

104

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
पीठासीन अधिकारी का नाम :- देवेन्द्र प्रताप सिंह
मण्डल : आगरा, जनपद : आगरा, तहसील : आगरा
वाद संख्या :-3163/2026
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202601010103163
ग्राम सभा अंगूठी बनाम मस्जिद व्यवस्थापक वकील आदि
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रश्नगत वाद की कार्यवाही न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/अपर कलक्टर आगरा वाद संख्या–D202501010001358 वकील आदि बनाम ग्रामसभा आदि अन्तर्गत धारा–67(5) अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 पर दर्ज कर प्रारम्भ की गयी। पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 में, अवर न्यायालय आदेश दिनांक 30.04.2025 निरस्त करते हुए यह निर्देश दिये गये है कि अवर न्यायालय सभी पक्षकारों को आपत्ति/साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधिवत गुणदोष के आधार पर एक माह में आदेश पारित करें।

न्यायालय तहसीलदार/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आर सी प्रपत्र 19 जिसमें गाटा संख्या 486क/0.5420हे0 व गाटा संख्या 486ख/4.4570हे0 श्रेणी: 6–1/अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि, तालाब के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण मस्जिद व्यवस्थापक/प्रबन्धक वकील पुत्र बुन्दा, खिल्लू पुत्र रहीमा, शेरा पुत्र चन्दू, बाबू पुत्र नूरी, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह द्वारा करीब 196 वर्ग मीटर पर पक्का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण (मस्जिद) का निर्माण कर अवैध कब्जा किये जाने के उपरान्त बेदखल करते हुए 1470000/–रू0 जुर्माना आरोपित किया गया था।

अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2025 के कम में वाद दर्ज करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को पुनः आर सी प्रपत्र–20 जारी किया गया। जो तामीला उपरान्त पत्रावली पर संलग्न है। दिनांक 06.05.2026 को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। उनके द्वारा साक्ष्य हेतु समय चाहा गया। कई तिथि व्यतीत हो जाने के उपरान्त किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।

मेरे द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि तालाब की भूमि की सुरक्षा हेतु चारों ओर तार फैसिग की गयी है। जिससे तालाब की वास्तविक सीमा स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से परिलक्षित होती है। मौके पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व भूचित्र के मिलान से तालाब की सीमाए स्पष्ट रूप से चिन्हित पायी गयी। स्थल निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मन्दिर व मस्जिद का निर्माण तालाब की भूमि खसरा संख्या–486क व खसरा संख्या 486ख की सीमा के अन्दर है। उक्त अतिक्रमण तालाब की अभिलेखीय भूमि पर विद्यमान है। जिससे सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित तालाब की भूमि प्रभावित हो रही है। मौके पर स्थल निरीक्षण एवं पैमाईश से यह स्पष्ट है कि मन्दिर तथा मस्जिद का निर्माण तालाब की भूमि पर है। आर सी प्रपत्र–19 के साथ संलग्न नजरी नक्शा से भूचित्र से मिलान करने पर एक समान पाया गया। अतः यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या–486क व गाटा संख्या 486ख पर अवैध अतिक्रमण विद्यमान है।

दिनांक 08.06.2026 को प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए व जबाब दाखिल किया गया कि उनके द्वारा कुछ दस्तावेज जैसे सी0एच0–41, सी0एच0–45 दाखिल कर व लेखपाल हाजा द्वारा पर्व में की गयी गलत

CERTIFIED COPY TAHSIL AGRA

ग्राम प्रति बमहर सरकारी कार्य हेतु

105

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
पीठासीन अधिकारी का नाम :- देवेन्द्र प्रताप सिंह
मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा
वाद संख्या :-3163/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202601010103163
ग्राम सभा अंगूठी बनाम मस्जिद व्यवस्थापक वकील आदि
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

का सवाल मालखाने में दे रखा है। दस्तावेजों की पक्की मिलते ही न्यायालय में पेश कर देगा एवं न्यायहित में स्थल की पैमाईश राजस्व टीम द्वारा करायी जाए व लेखपाल के बयान कराए जाए व बहस का अवसर दिया जाए व ग्रामसभा का साक्ष्य लिया जाए। तदोपरान्त गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किये जाए।

मेरे द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थल निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि तालाब की भूमि के चारों तरफ तार फैसिंग की गयी है, सीमाए स्पष्ट है। मस्जिद का अवैध निर्माण तालाब की सीमा में है। आस–पास कोई निजी भूमि भी नही है। जिससे अवैध अतिक्रमण से इन्कार किया जाए। मौके पर की गयी पैमाईश, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आर सी प्रपत्र 19 के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से मेल खाती है। गूगल मैप से भी तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण सिद्ध है।

प्रतिवादी को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। अवैध अतिक्रमण वाली भूमि धारा–77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत आने वाली आरक्षित भूमि है। राजस्व अभिलेख व चकबन्दी आकार पत्र 41–45 में भी भूमि तालाब के रूप में अंकित है। जिस पर किसी भी दशा में भूमिधरी अधिकार सृजित नही हो सकते।

अतः तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा सिद्ध होने पर बेदखली आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचना के मस्जिद व्यस्थापक/प्रबन्धक वकील पुत्र वुन्दा, खिल्लू पुत्र रहीमा, शेरा पुत्र चन्दू , बाबू पुत्र नूरी, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह निवासी अंगूठी तह0 व जिला आगरा को मौजा अंगूठी के गाटा संख्या गाटा संख्या 486क/0.5420हे0 व गाटा संख्या 486ख/4.4570हे0 कुल रकवा 4.9990हे0 तालाब की भूमि के जुजभाग 196 वर्ग मीटर भूमि पर पक्का मकान निर्माण (जो मस्जिद के रूप है) कर अवैध कब्जा किये जाने के कारण बेदखल किया जाता है तथा जुर्माना मु0 1470000/रू0 आरोपित किया जाता है। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस आशय से कि वह आदेश का अनुपालन कर एक सप्ताह में आकार प्रपत्र 67 (क) व अनुपालन में हुये व्यय की गणनसीट 67(ख) नियमानुसार न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वसूली हेतु 67 (ग) व आदेश की एक प्रति संग्रह अनुभाग को भेजी जायें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

पृष्ठ संख्या :

दिनांक– 9.6.26

9/6/26
तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
सदर,आगरा।

ह0 नकलकर्ता
ह0 मिलानकर्ता :–

TRUE COPY
Coping Teh, Agra

CERTIFIED COPY
TAHSIL AGRA

द्वारा प्रति नकल सरकारी कार्य हेतु

06

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा
वाद संख्या :-3241/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202601010103241
ग्रामसभा अंगूठी बनाम मन्दिर व्यवस्थापक राजवीर आदि
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रश्नगत वाद की कार्यवाही न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/अपर कलक्टर आगरा वाद संख्या–D202501010001357 राजवीर आदि बनाम ग्रामसभा आदि अन्तर्गत धारा–67(5) अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 पर दर्ज कर प्रारम्भ की गयी। पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 में अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 30.04.2025 निरस्त करते हुए यह निर्देश दिये गये है कि अवर न्यायालय सभी पक्षकारों को आपत्ति/साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधिवत गुणदोष के आधार पर एक माह में आदेश पारित करें।

न्यायालय तहसीलदार/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आर सी प्रपत्र 19 जिसमें गाटा संख्या 486क/0.5420हे0 व गाटा संख्या 486ख/4.4570हे0 श्रेणीः 6–1/अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि, तालाब के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण मन्दिर व्यवस्थापक/प्रबन्धक राजवीर पुत्र विजय सिंह, कोमल पुत्र विजय सिंह, गुडडी पत्नी विजेन्द्र, तेजवीर पुत्र होरीलाल, रिंकू पुत्र विजेन्द्र द्वारा करीब 200 वर्ग मीटर पर पक्का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण (मन्दिर) का निर्माण कर अवैध कब्जा किये जाने के उपरान्त बेदखल करते हुए 1380000/–रू0 जुर्माना आरोपित किया गया था।

अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2025 के क्रम में वाद दर्ज करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को पुनः आर सी प्रपत्र–20 जारी किया गया। जो तामीला उपरान्त पत्रावली पर संलग्न है। दिनांक 06.05.2026 को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। उनके द्वारा साक्ष्य हेतु समय चाहा गया। कई तिथि व्यतीत हो जाने के उपरान्त किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।

मेरे द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि तालाब की भूमि की सुरक्षा हेतु चारों ओर तार फैसिग की गयी है। जिससे तालाब की वास्तविक सीमा स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से परिलक्षित होती है। मौके पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व भूचित्र के मिलान से तालाब की सीमाए स्पष्ट रूप से चिन्हित पायी गयी। स्थल निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मन्दिर व मस्जिद का निर्माण तालाब की भूमि खसरा संख्या–486क व खसरा संख्या 486ख की सीमा के अन्दर है। उक्त अतिक्रमण तालाब की अभिलेखीय भूमि पर विद्यमान है। जिससे सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित तालाब की भूमि प्रभावित हो रही है। मौके पर स्थल निरीक्षण एवं पैमाईश से यह स्पष्ट है कि मन्दिर तथा मस्जिद का निर्माण तालाब की भूमि पर है। आर सी प्रपत्र–19 के साथ संलग्न नजरी नक्शा से भूचित्र से मिलान करने पर एक समान पाया गया। अतः यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या–486क व गाटा संख्या 486ख पर अवैध अतिक्रमण विद्यमान है।

CERTIFIED COPY TAHSIL AGRA

दिनांक 08.06.2026 को प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए व जबाब दाखिल किया गया कि उनके द्वारा कछ दस्तावेज जैसे

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
पीठासीन अधिकारी का नाम :- देवेन्द्र प्रताप सिंह
मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा
वाद संख्या :-3241/2026
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202601010103241
ग्रामसभा अंगूठी बनाम मन्दिर व्यवस्थापक राजवीर आदि
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

1736/2

का सवाल मालखाने में दे रखा है। दस्तावेजों की पक्की मिलते ही न्यायालय में पेश कर देगा एवं न्यायहित में स्थल की पैमाईश राजस्व टीम द्वारा करायी जाए व लेखपाल के बयान कराए जाए व बहस का अवसर दिया जाए व ग्रामसभा का साक्ष्य लिया जाए। तदोपरान्त गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किये जाए।

मेरे द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थल निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि तालाब की भूमि के चारों तरफ तार फैसिंग की गयी है, सीमाए स्पष्ट है। तीन छोटे छोटे मन्दिरों का अवैध निर्माण तालाब की बाहरीसीमा से लगभग 50 मीटर अन्दर किया गया है। मौके पर की गयी पैमाईश, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे से मेल खाती है। गूगल मैप से भी तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण सिद्ध है।

प्रतिवादी को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। अवैध अतिक्रमण वाली भूमि धारा–77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत आने वाली आरक्षित भूमि है। राजस्व अभिलेख व चकबन्दी आकार पत्र 41–45 में भी भूमि तालाब के रूप में अंकित है। जिस पर किसी भी दशा में भूमिधरी अधिकार सृजित नही हो सकते।

अतः तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा सिद्ध होने पर बेदखली आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचना के मन्दिर व्यस्थापक/प्रबन्धक राजवीर, कोमल पुत्रगण विजय सिगंह व गुड्डी पत्नी विजेन्द्र सिंह , तेजवीर पुत्र होरीलाल व रिंकू पुत्र विजेन्द्र निवासी अंगूठी तह0 व जिला आगरा को मौजा अंगूठी के गाटा संख्या गाटा संख्या 486क/0.5420हे0 व गाटा संख्या 486ख/4.4570हे0 कुल रकवा 4.9990हे0 तालाब की भूमि के जुजभाग 200 वर्ग मीटर भूमि पर पक्का मकान निर्माण (मन्दिर) कर अवैध कब्जा किये जाने के कारण बेदखल किया जाता है तथा जुर्माना मु0 1380000/रू0 आरोपित किया जाता है। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस आशय से कि वह आदेश का अनुपालन कर एक सप्ताह में आकार प्रपत्र 67 (क) व अनुपालन में हुये व्यय की गणनसीट 67(ख) नियमानुसार न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वसूली हेतु 67 (ग) व आदेश की एक प्रति संग्रह अनुभाग को भेजी जायें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–

9/6/26

तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
सदर,आगरा।

ह0 नकलकर्ता
ह0 मिलानकर्ता :–

TRUE COPY
Coping Teh, Agra

CERTIFIED COPY
TAHSIL AGRA

न्यायालय तहसीलदार, तहसील सदर, आगरा

संख्या 192/एम0जे0 दिनांक 10.6.26

मन्दिर व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
राजवीर, कोमल पुत्रगण विजय सिंह व
गुड्डी पत्नी विजेन्द्र सिंह, तेजवीर पुत्र होरीलाल
व रिंकू पुत्र विजेन्द्र निवासी अंगूठी तह0 व जिला आगरा।

नोटिस

न्यायालय द्वारा वाद संख्या–T202601010103241 ग्रामसभा अंगूठी बनाम मन्दिर व्यवस्थापक राजवीर आदि अन्तर्गत धारा 67 अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 09.06.2026 को आदेश पारित करते हुए मन्दिर व्यवस्थापक/प्रबन्धक राजवीर, कोमल पुत्रगण विजय सिंह व गुड्डी पत्नी विजेन्द्र सिंह , तेजवीर पुत्र होरीलाल व रिंकू पुत्र विजेन्द्र निवासी अंगूठी तह0 व जिला आगरा को मौजा अंगूठी तह0 व जिला आगरा को मौजा अंगूठी के गाटा संख्या गाटा संख्या 486क/0.5420हे0 व गाटा संख्या 486ख/4.4570हे0 कुल रकवा 4.9990हे0 तालाब की भूमि के जुजभाग 200 वर्ग मीटर भूमि पर पक्का मकान निर्माण (जो मन्दिर के रूप है) कर अवैध कब्जा किये जाने के कारण बेदखल किया गया है तथा जुर्माना मु0 1380000/रू0 आरोपित किया गया है।

आपको उक्त आदेश के अनुपालन में इस आशय का नोटिस निर्गत किया जता है कि निर्गत होने के दिनांक से 07 दिवस की अवधि के अन्दर स्वयं अवैध कब्जा हटा ले। उक्त में विफल रहने की दशा में राजस्व प्रशासन द्वारा बलपूर्वक अवैध कब्जा हटाते हुए तालाव की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जायेगा तथा अवैध कब्जा हटाने में हुए व्यय की वसूली उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–67 के साथ पठित नियमावली 67 के अन्तर्गत की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

10/6/26
तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
O/C सदर,आगरा।

प्रतिलिपिः– नायब नाजिर, तहसील सदर आगरा को इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी को आज ही नोटिस तामील कराकर तामीला की एक प्रति न्यायालय में वापिस कराना सुनिश्चित करें।

10/6/26
तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
सदर,आगरा।
O/C

सं. 191/m जा

न्यायालय तहसीलदार, तहसील सदर, आगरा

दि. 10.6.26

मस्जिद व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
वकील पुत्र वुन्दा, खिल्लू पुत्र रहीमा,
शेरा पुत्र चन्दू , बाबू पुत्र नूरी, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह
निवासी अंगूठी तह0 व जिला आगरा।

<u>नोटिस</u>

न्यायालय द्वारा वाद संख्या–T202601010103163 ग्रामसभा अंगूठी बनाम मस्जिद व्यवस्थापक अन्तर्गत धारा 67 अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 09.06.2026 को आदेश पारित करते हुए मस्जिद व्यवस्थापक/प्रबन्धक वकील पुत्र वुन्दों, खिल्लू पुत्र रहीमा, शेरा पुत्र चन्दू , बाबू पुत्र नूरी, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह निवासी अंगूठी तह0 व जिला आगरा को मौजा अंगूठी के गाटा संख्या गाटा संख्या 486क/0.5420हे0 व गाटा संख्या 486ख/4.4570हे0 कुल रकवा 4.9990हे0 तालाब की भूमि के जुजभाग 196 वर्ग मीटर भूमि पर पक्का मकान निर्माण (जो मस्जिद के रूप है) कर अवैध कब्जा किये जाने के कारण बेदखल किया गया है तथा जुर्माना मु0 1470000/रू0 आरोपित किया गया है।

आपको उक्त आदेश के अनुपालन में इस आशय का नोटिस निर्गत किया जता है कि निर्गत होने के दिनांक से 07 दिवस की अवधि के अन्दर स्वयं अवैध कब्जा हटा ले। उक्त में विफल रहने की दशा में राजस्व प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कब्जा हटाते हुए तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दी जायेगी तथा अवैध कब्जा हटाने में हुए व्यय की वसूली उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–67 के साथ पठित नियमावली 67 के अन्तर्गत की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

10/6/26

तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
सदर,आगरा।

O/C

प्रतिलिपिः– नायब नाजिर, तहसील सदर आगरा को इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी को आज ही नोटिस तामील कराकर तामीला की एक प्रति न्यायालय में वापिस कराना सुनिश्चित करें।

10/6/26

तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
सदर,आगरा।

O/C

न्यायालय तहसीलदार, तहसील सदर, आगरा

संख्या 190 /एम0जे0 दिनांक 10-06-26

मुन्ना, नहने, फिरोजी पुत्रगण जहाँगीर,
निवासी ग्राम अंगूठी तह0 व जिला आगरा।

नोटिस

न्यायालय द्वारा वाद संख्या–T202501010102617 ग्रामसभा अंगूठी बनाम मुन्ना आदि अन्तर्गत धारा 67 अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 28.04.2025 को आदेश पारित करते हुए मुन्ना, नहने व फिरोजी पुत्रगण जहाँगीर निवासी ग्राम अंगूठी तह0 व जिला आगरा को मौजा अंगूठी तह0 व जिला आगरा को मौजा अंगूठी के गाटा संख्या गाटा संख्या [illegible]7/0.0346हे0, गाटा संख्या 486क/0.5420हे0 व गाटा संख्या 486ख/4.4570हे0 कुल रकवा 5.0336हे0 तालाब की भूमि के जुजभाग 40 वर्ग मीटर भूमि पर पक्का मकान निर्माण (मजार के रूप है) कर अवैध कब्जा किये जाने के कारण बेदखल किया गया है तथा जुर्माना मु0 200000/रू0 आरोपित किया गया है।

आपको उक्त आदेश के अनुपालन में इस आशय का नोटिस निर्गत किया जता है कि निर्गत होने के दिनांक से 07 दिवस की अवधि के अन्दर स्वयं अवैध कब्जा हटा ले। उक्त में विफल रहने की दशा में राजस्व प्रशासन द्वारा बलपूर्वक अवैध कब्जा हटाते हुए तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जायेगा तथा अवैध कब्जा हटाने में हुए व्यय की वसूली उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–67 के साथ पठित नियमावली 67 के अन्तर्गत की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

10/6/26
तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
सदर,आगरा।

प्रतिलिपिः– नायब नाजिर, तहसील सदर आगरा को इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी को आज ही नोटिस तामील कराकर तामीला की एक प्रति न्यायालय में वापिस कराना सुनिश्चित करें।

10/6/26
तहसीलदार(सदर),आगरा/
सहायक कलक्टर(प्रथम श्रेणी)
सदर,आगरा।

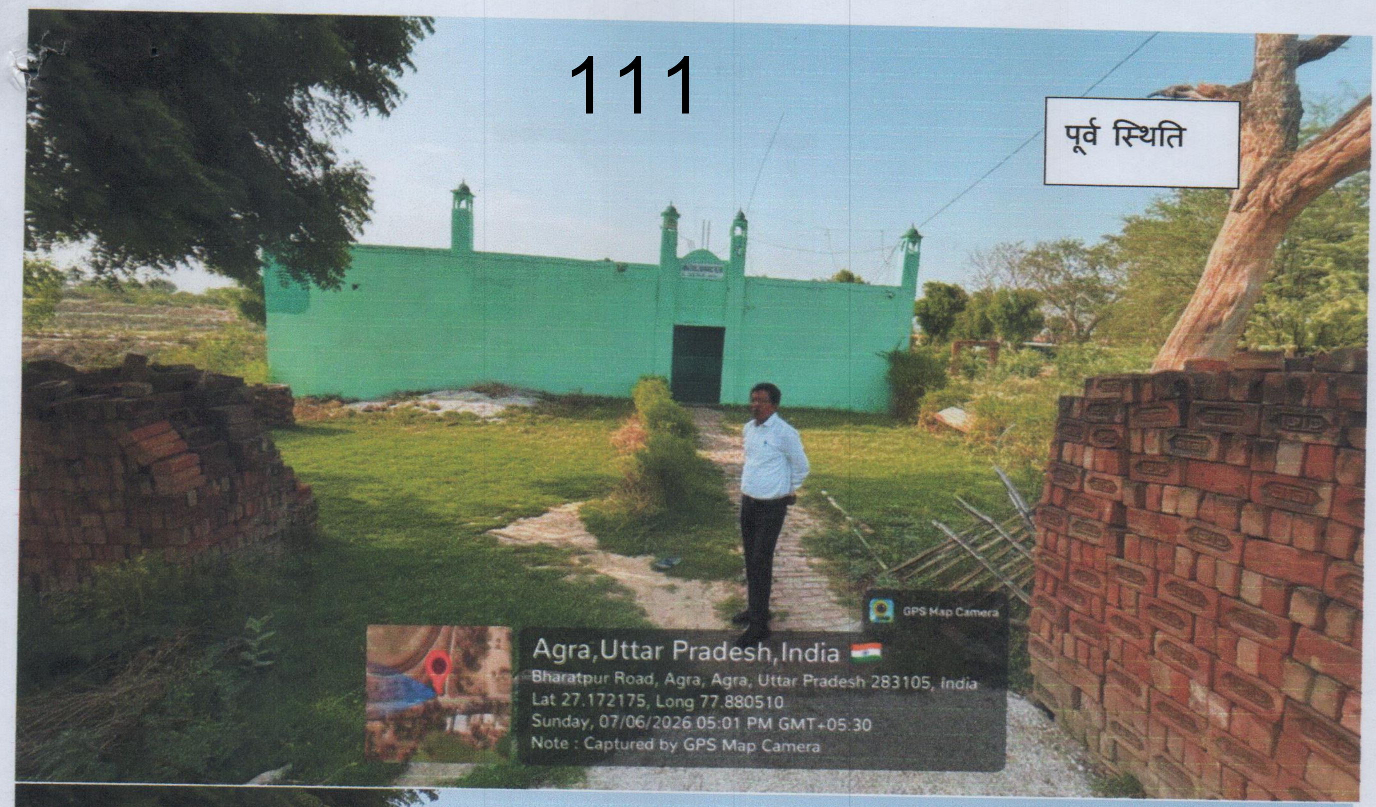
111
पूर्व स्थिति
GPS Map Camera
Agra,Uttar Pradesh,India
Bharatpur Road, Agra, Agra, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.172175, Long 77.880510
Sunday, 07/06/2026 05:01 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vcm+wfv, Agra - Bharatpur Rd, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.172182° Long 77.880516°
Wednesday, 17/06/2026 03:19 PM GMT +05:30

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vcj+w5h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.172261° Long 77.880616°
Wednesday, 17/06/2026 03:20 PM GMT +05:30

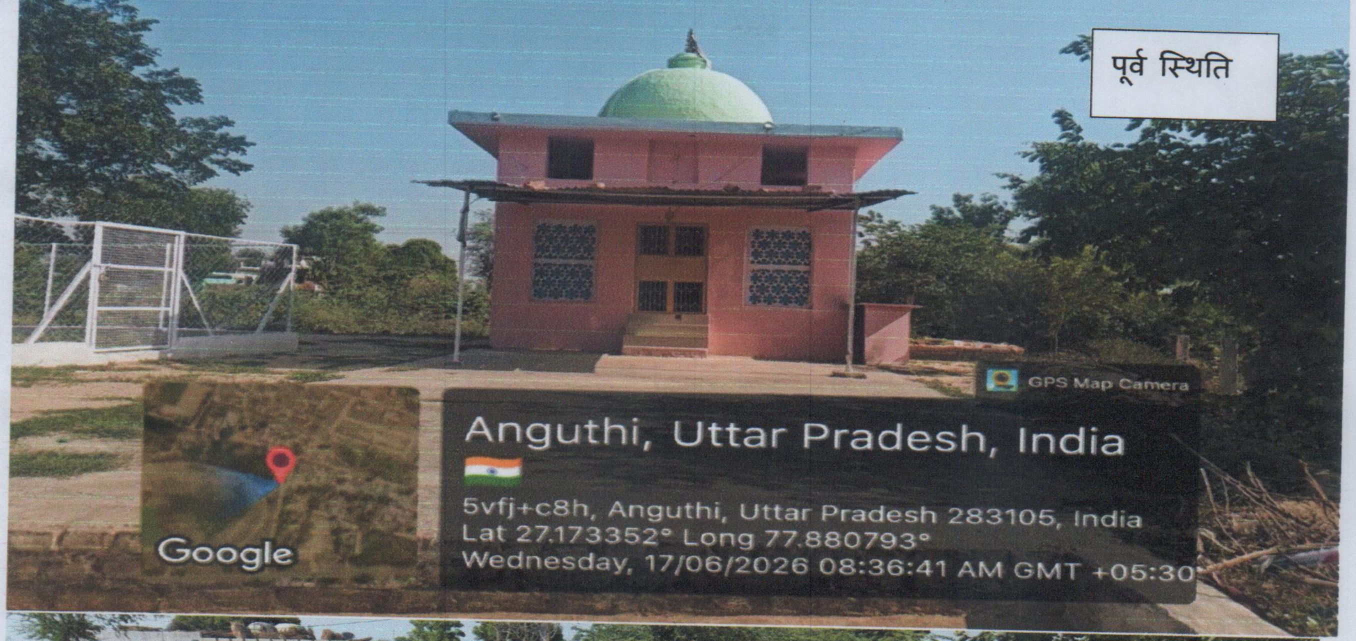
पूर्व स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vfj+c8h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.173352° Long 77.880793°
Wednesday, 17/06/2026 08:36:41 AM GMT +05:30

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vfj+c8h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.173368° Long 77.880781°
Wednesday, 17/06/2026 03:33 PM GMT +05:30

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vfj+c8h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.173488° Long 77.880834°
Wednesday, 17/06/2026 03:33 PM GMT +05:30

पूर्व स्थिति

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vfj+c8h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.173368° Long 77.880781°
Wednesday, 17/06/2026 03:33 PM GMT +05:30

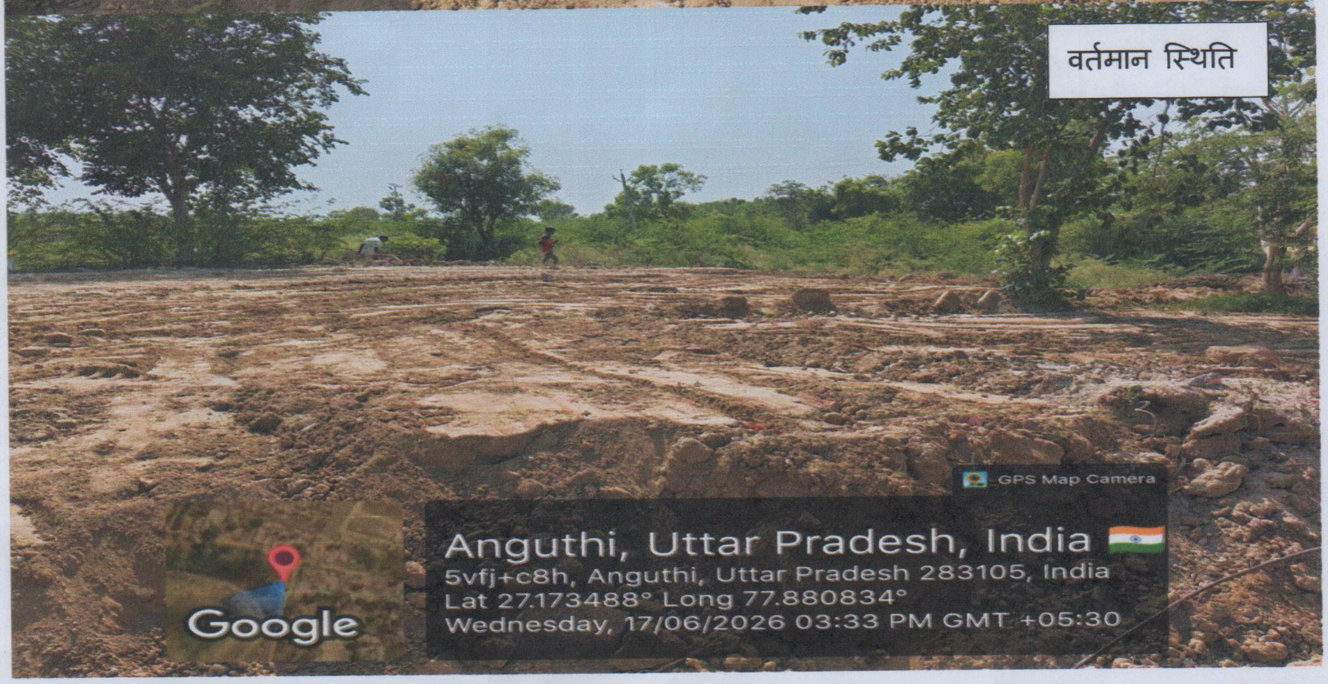
वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vfj+c8h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.173488° Long 77.880834°
Wednesday, 17/06/2026 03:33 PM GMT +05:30

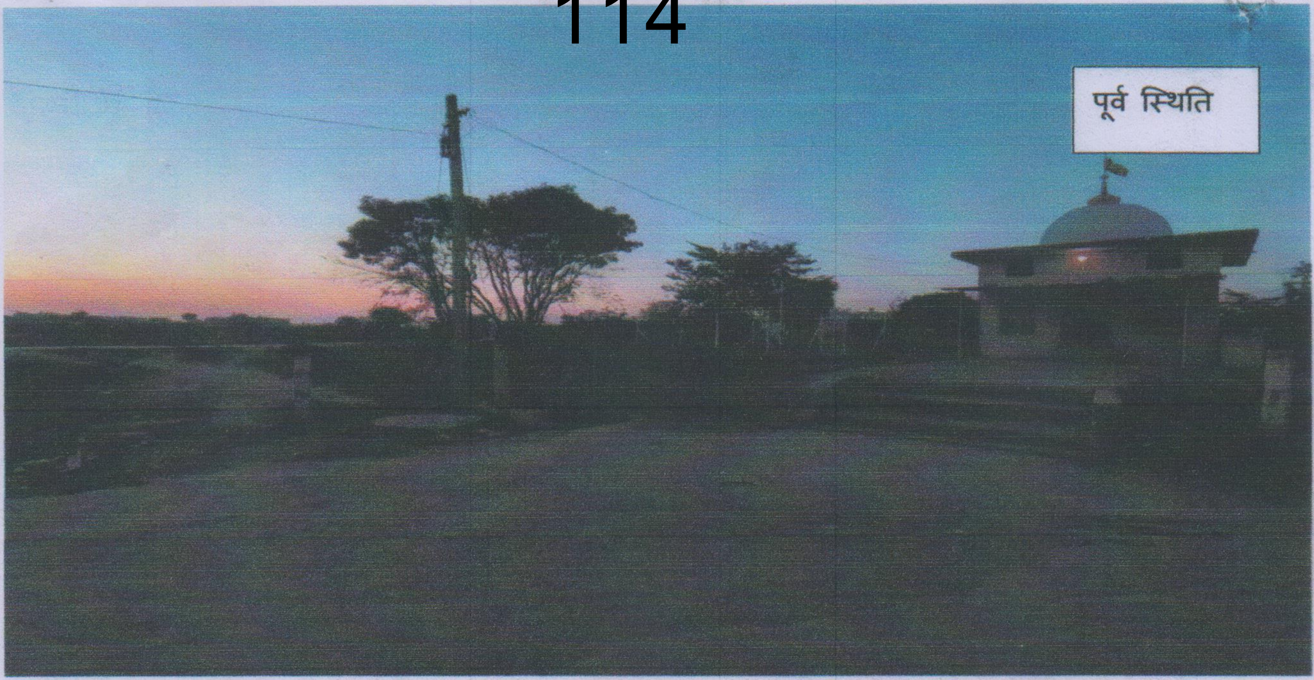
पूर्व स्थिति

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vfj+c8h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.173368° Long 77.880781°
Wednesday, 17/06/2026 03:33 PM GMT +05:30

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vfj+c8h, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.173488° Long 77.880834°
Wednesday, 17/06/2026 03:33 PM GMT +05:30

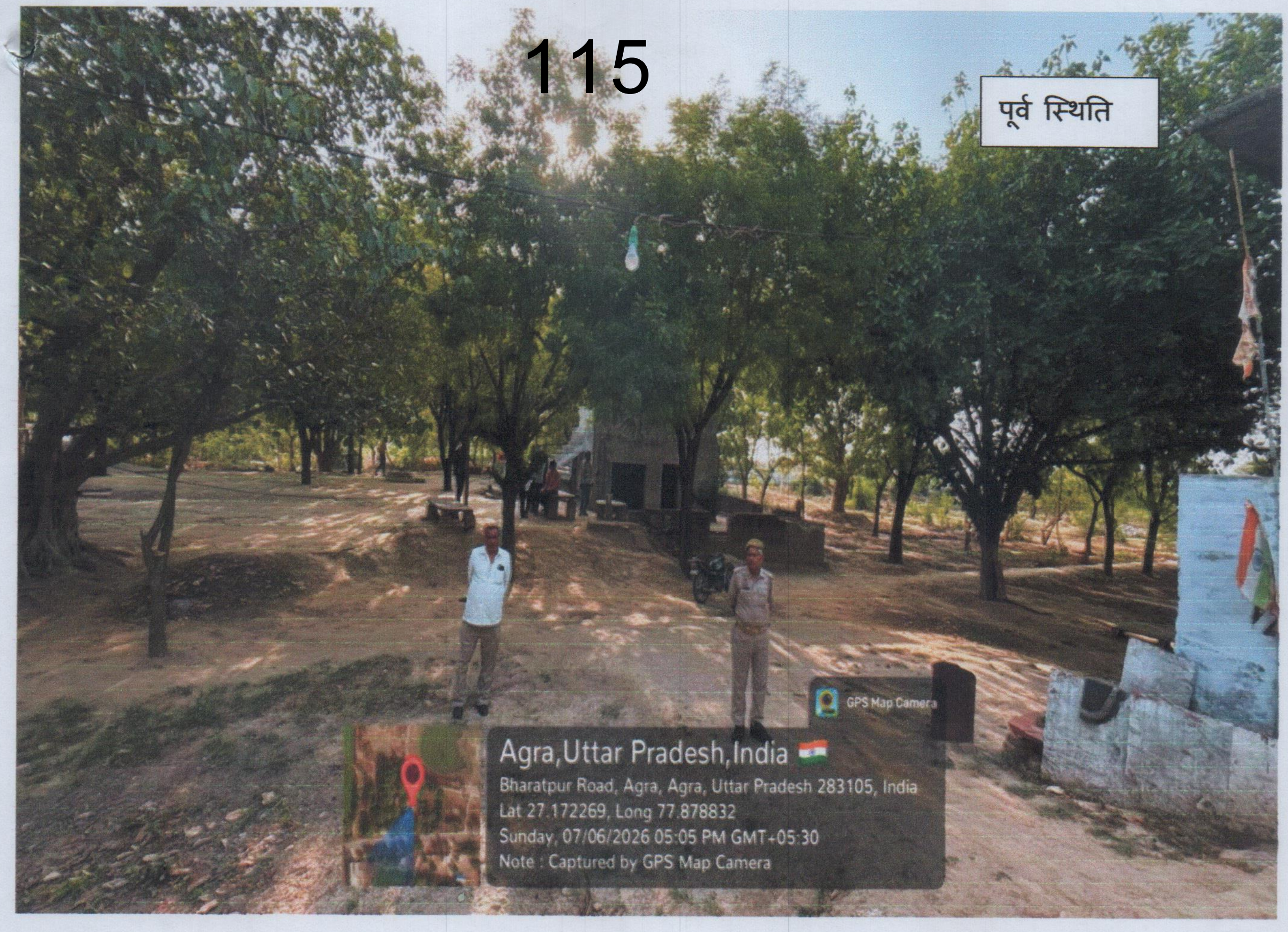
पूर्व स्थिति
GPS Map Camera
Agra,Uttar Pradesh,India
Bharatpur Road, Agra, Agra, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.172269, Long 77.878832
Sunday, 07/06/2026 05:05 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

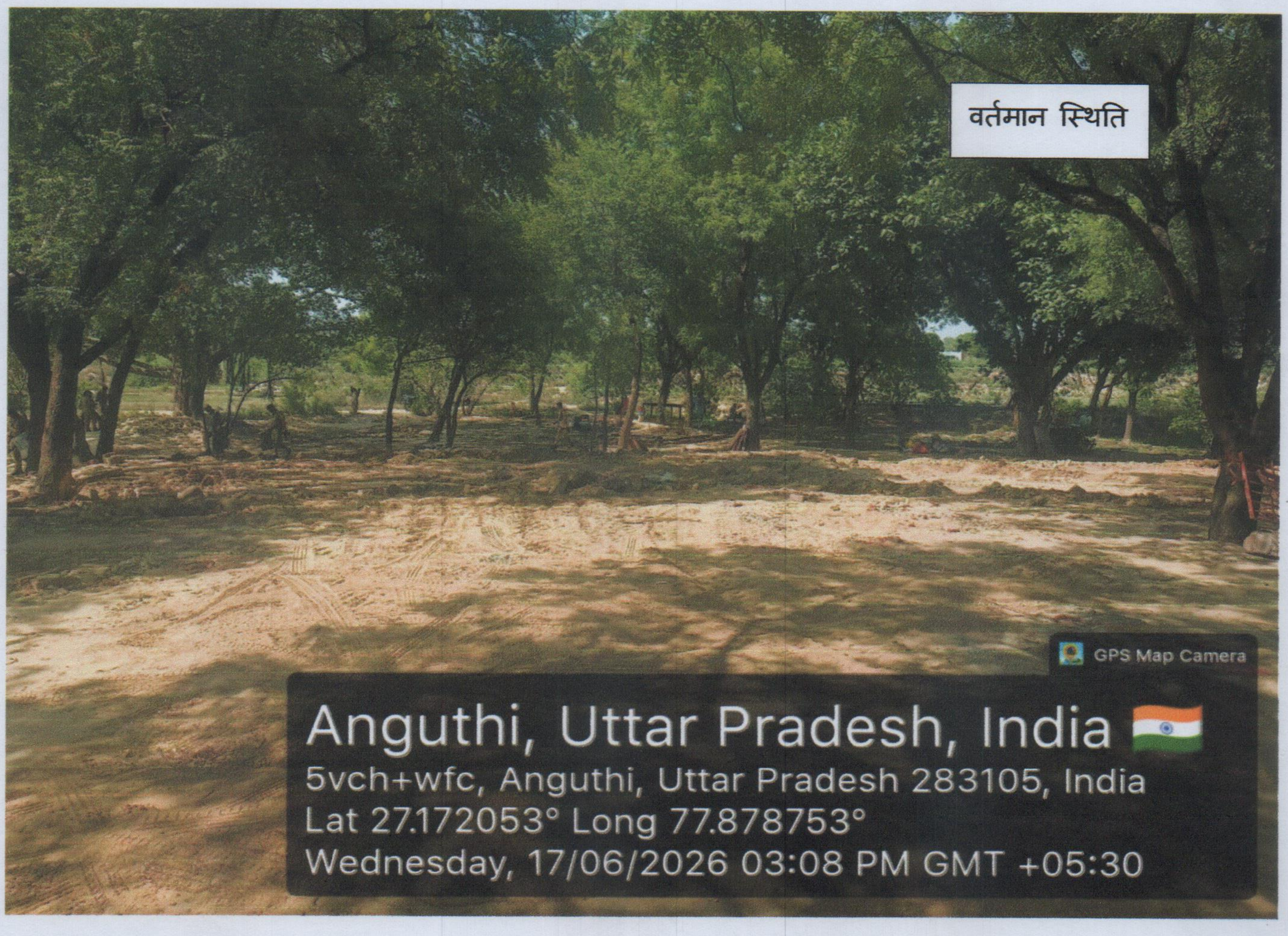
वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vch+wfc, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.172053° Long 77.878753°
Wednesday, 17/06/2026 03:08 PM GMT +05:30

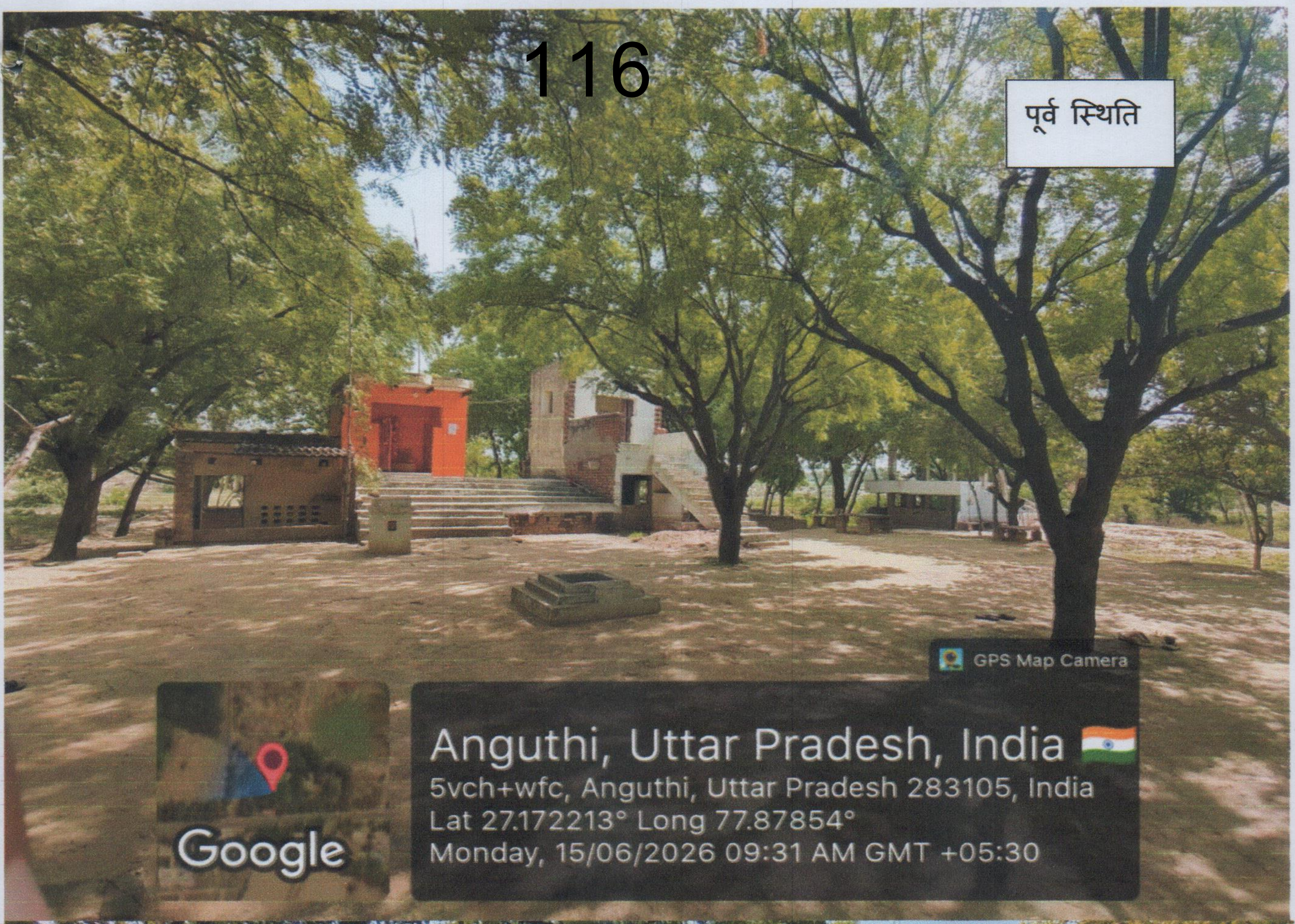
पूर्व स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vch+wfc, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.172213° Long 77.87854°
Monday, 15/06/2026 09:31 AM GMT +05:30

वर्तमान स्थिति
GPS Map Camera
Google
Anguthi, Uttar Pradesh, India
5vch+wfc, Anguthi, Uttar Pradesh 283105, India
Lat 27.172224° Long 77.878553°
Wednesday, 17/06/2026 03:36 PM GMT +05:30

Annexure-5

कार्यालय 117 ज़िलाधिकारी, आगरा।

संख्या 1377/ओएसडी

दिनांक 20 जून, 2026

अपर मुख्य अधिकारी,
ज़िला पंचायत,
आगरा।

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 में ग्राम अंगूठी, ब्लॉक बिचपुरी, तहसील सदर, आगरा के गाटा संख्या 486 क,ख कुल क्षेत्रफल 4.9993 है०, जो खतौनी में तालाब के रूप में दर्ज है, को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया था। परन्तु तालाब के कुछ भाग पर अतिक्रमण होने के कारण सम्पूर्ण तालाब का कायाकल्प नहीं हो सका था।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या 1177/2024 भूरी सिंह बनाम ज़िला मजिस्ट्रेट, आगरा में पारित आदेश दिनांक 17–01–2025 के अनुपालन में वर्तमान में ग्राम अंगूठी के तालाब गाटा संख्या 486 क,ख को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त तालाब को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित कर तालाब के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का पुनर्रूद्धार कार्य कराने का कष्ट करें, ताकि आम जनमानस को तालाब के जल संचय का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक यथोक्तः–

(मनीष बंसल),
ज़िलाधिकारी, आगरा।

संख्या व दिनांकतद्
प्रतिलिपि– निम्नांकित को अनुपालनार्थ।

1. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
2. खण्ड विकास अधिकारी, बिचपुरी, आगरा।

(मनीष बंसल),
ज़िलाधिकारी, आगरा।